**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 3005**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**उज्ज्वला लाभार्थी**

**3005. श्री विवेक गुप्ताः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एलपीजी राजसहायता छोड़ने वाले प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों और नागरिकों का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) तीसरी और चौथी सिलिन्डर लेने वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों का, 2016 से, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) एलपीजी राजसहायता को स्वेच्छा से छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि पीएमयूवाई के लाभार्थियों को बिना किसी राजसहायता के बाजार भाव से गैस सिलिंडर खरीदना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह राजसहायता-प्राप्त स्वच्छ रसोई गैस उपलब्‍ध कराने संबंधी योजना के लक्ष्य के प्रतिकूल है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ग): दिनांक 15.03.2018 की स्‍थिति के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 3.48 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्‍शन जारी किए हैं। राज्‍य-यूटी के ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-I में दिए गए हैं। ‘गिव इट अप’ अभियान के तहत अपनी राजसहायता छोड़ने वाले एलपीजी उपभोक्‍ताओं के राज्‍य/यूटी-वार ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-II में दिए गए हैं।

(ख): पीएमयूवाई उपभोक्‍ताओं, जिन्‍होंने कनेक्‍शन जारी होने की तारीख से एक वर्ष का समय पूरा कर लिया है, की रीफिल खपत पद्धति के अनुसार, औसत प्रति व्‍यक्‍ति खपत लगभग 4.32 सिलिंडर (14.2 कि0ग्रा0 का) पाई गई है।

(घ) और (ड.): पहल योजना के तहत, पीएमयूवाई उपभोक्‍ताओं सहित योजना में शामिल होने वाले एलपीजी उपभोक्‍ताओं को एलपीजी सिलिंडर गैर-राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍य पर प्राप्‍त होते हैं और एलपीजी राजसहायता उनकी हकदारी के अनुसार सीधे उनके पंजीकृत बैंक खाते में प्राप्‍त होती है। यदि ऐसे पीएमयूवाई लाभार्थी चूल्‍हा और पहली रीफिल अथवा दोनों की खरीद करने के लिए ऋण की सुविधा लेते हैं तो ऋण की धनराशि की वसूली रीफिल की खरीद करने पर प्राप्‍त होने वाली राजसहायता से तब तक की जाती है जब तक की ऋण की पूरी धनराशि वसूल नहीं हो जाती है।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **संसद प्रश्‍न. 3005** | **अनुलग्‍नक-I** |
|  **दिनांक 15.03.2018 की स्‍थिति के अनुसार पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्‍शनों के राज्‍य/यूटी-वार ब्‍यौरे** |
| **क्रम सं.** | **राज्य / यूटी**  | **जारी किए गए कनेक्‍शन**  |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह |  **1,698**  |
| 2 | आंध्र प्रदेश |  **79,983**  |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश |  **5,857**  |
| 4 | असम |  **1,024,820**  |
| 5 | बिहार |  **4,814,371**  |
| 6 | चंडीगढ़ |  **-**  |
| 7 | छत्तीसगढ़ |  **1,914,751**  |
| 8 | दादरा और नगर हवेली |  **11,437**  |
| 9 | दमन और दीव |  **203**  |
| 10 | दिल्ली |  **519**  |
| 1 1 | गोवा |  **983**  |
| 12 | गुजरात |  **1,262,814**  |
| 13 | हरियाणा |  **355,014**  |
| 14 | हिमाचल प्रदेश |  **28,366**  |
| 15 | जम्मू और कश्मीर |  **369,444**  |
| 16 | झारखंड |  **1,135,703**  |
| 17 | कर्नाटक |  **887,479**  |
| 18 | केरल |  **36,987**  |
| 19 | लक्षद्वीप |  **130**  |
| 20 | मध्य प्रदेश |  **3,233,917**  |
| 21 | महाराष्ट्र |  **1,830,287**  |
| 22 | मणिपुर |  **29,991**  |
| 23 | मेघालय |  **32,022**  |
| 24 | मिजोरम |  **834**  |
| 25 | नगालैंड |  **8,715**  |
| 26 | ओडिशा |  **2,179,521**  |
| 27 | पुदुच्‍चेरी  |  **2,440**  |
| 28 | पंजाब |  **378,119**  |
| 29 | राजस्थान |  **2,582,301**  |
| 30 | सिक्किम |  **683**  |
| 31 | तमिलनाडु |  **982,640**  |
| 32 | तेलंगाना |  **41**  |
| 33 | त्रिपुरा |  **40,279**  |
| 34 | उत्तर प्रदेश |  **6,444,619**  |
| 35 | उत्तराखंड |  **136,708**  |
| 36 | पश्चिम बंगाल |  **4,989,928**  |
|   | **योग**  |  **34,803,604**  |

**संसद प्रश्‍न 3005 अनुलग्‍नक- II**

**दिनांक 14.03.2018 की स्‍थिति के अनुसार राजसहायता छोड़ने वाले ग्राहकों के राज्‍य/यूटी-वार संख्‍या**

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्य / यूटी**  | **योग**  |
| **अंडमान व निकोबार द्वीप समूह** | **2851** |
| **आंध्र प्रदेश** | **238044** |
| **अरुणाचल प्रदेश** | **23218** |
| **असम** | **187428** |
| **बिहार** | **419615** |
| **चंडीगढ़** | **20154** |
| **छत्तीसगढ़** | **136605** |
| **दमन और दीव** | **3258** |
| **दिल्ली** | **813282** |
| **दादरा और नगर हवेली** | **7559** |
| **गोवा** | **42811** |
| **गुजरात** | **448583** |
| **हिमाचल प्रदेश** | **70363** |
| **हरियाणा** | **341945** |
| **झारखंड** | **98193** |
| **जम्मू और कश्मीर** | **150975** |
| **केरल** | **314199** |
| **कर्नाटक** | **753740** |
| **लक्षद्वीप** | **143** |
| **मणिपुर** | **47098** |
| **मेघालय** | **7649** |
| **महाराष्ट्र** | **1692440** |
| **मिजोरम** | **43985** |
| **मध्य प्रदेश** | **445646** |
| **नगालैंड** | **31562** |
| **ओडिशा** | **158722** |
| **पुदुच्‍चेरी**  | **16832** |
| **पंजाब** | **419795** |
| **राजस्थान** | **646446** |
| **सिक्किम** | **7793** |
| **तेलंगाना** | **385737** |
| **तमिलनाडु** | **661650** |
| **त्रिपुरा** | **18753** |
| **उत्तर प्रदेश** | **1268299** |
| **उत्तराखंड** | **146650** |
| **पश्चिम बंगाल** | **352700** |
| **योग**  | **10424723** |